संख्या-11/2022/1020/23-14-2021-06आ0पू0वि0नि0/2018

प्रेषक,

राजेश कुमार पाण्डेय,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

मुख्य विकास अधिकारी,
बलिया।

लोक निर्माण अनुभाग-14 **लखनऊ: दिनांक- 14 जनवरी, 2022**

विषय- पूर्वांचल विकास निधि (राज्यांश) अनुदान संख्या-56 के अन्तर्गत जनपद-बलिया की 11 परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 में अवशेष धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1404/पू0वि0नि0, दिनांक 03.08.2021, पत्र संख्या-1450/पू0वि0नि0, दिनांक 06.08.2021, पत्र संख्या-1520/पू0वि0नि0, दिनांक 10.08.2021, पत्र संख्या-2494/पू0वि0नि0, दिनांक 08.11.2021, संख्या-1399/पू0वि0नि0, दिनांक 03.08.2021 एवं पत्र संख्या-1400/पू0वि0नि0, दिनांक 03.08.2021 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जनपद-बलिया की 11परियोजनाओं हेतु उपयोगिता प्रमाण-पत्र आदि उपलब्ध कराते हुए अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में जनपद बलिया की 11 परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु धनराशि रू0 990.36 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए धनराशि रू0 202.71 लाख प्रथम किस्त के रूप में अवमुक्त की गयी है। अत: चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु अगली किश्त के रूप में धनराशि रू0 5,21,51,000.00 लाख (रूपये पांच करोड इक्कीस लाख इक्यावन हजार मात्र) अवमुक्त करते हुये आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। परियोजना का विवरण निम्नवत् है-

धनराशि (लाख रू0 में)

क्र0 सं0	परियोजना का नाम/ जनपद बलिया	मूल स्वीकृति शासनादेश	लम्बाई (कि0मी0)	प्राविधिक स्वीकृति	कुल अवमुक्त धनराशि	वित्तीय वर्ष 2021-22 में धनराशि का आवंटन
1	2	3	4	5	6	7
1	लक्ष्मनपुर चट्टी से ग्राम पिपरा में विश्वनाथ का घर होते हुये खेल के मैदान तक नव निर्माण कार्य।	122/2019/234/23-14-2019-06आ0पू0वि0नि0/2018, दिनांक 10.03.2019	1.00	82.34	34.93	42.41
2	चितबड़ागांव गाजीपुर मुख्य मार्ग पर चितबड़ागांव (सहाड़) में हनुमान मंदिर से राजभर बस्ती तक सी0सी0 रोड के नव निर्माण का कार्य।	35/2019/1359/23-14-2018-06आ0पू0वि0नि0/2018, दिनांक 30.01.2019	0.70	57.10	22.84	29.26
3	बढ़वलिया से हदरत्तपुर राजभर बस्ती सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण।	तदैव	1.00	59.13	23.65	28.88
4	रससड़ खेजुरी मार्ग से	122/2019/234/23-14-2019-	1.60	100.45	2.00	50.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

	जिगनहरा ग्राम से जे0पी0 तिवारी के घर होते हुये अशोक तिवारी के डेरा होते हुये रसतड़ मेउली तक मार्ग का नव निर्माण।	06आ0पू0वि0नि0/2018, दिनांक 10.03.2019				
5	बहादुरपुर कारी एकइल मार्ग पर विजय गुप्ता के मकान से खुटुर सिंह के खेत होते हुये सुदामापुर चौहान बस्ती तक मार्ग।	163/2021/487/23-14-2011-08आ0पू0वि0नि0/2021, दिनांक 25.03.2021	2.700	177.42	17.74	70.96
6	गड़वार सुखपुरा मार्ग पर पेट्रोल पम्प के आगे बैजनाथ यादव के घर होते हुये बलिया गड़वार मुख्य मार्ग तक सम्पर्क मार्ग।	तदैव	1.300	70.00	7.00	50.00
7	अलावलपुर से रजवाड़ होते हुये नरजनी सम्पर्क मार्ग।	तदैव	1.200	63.57	6.35	50.00
8	सुखपुरा रतसड़ नहर मार्ग के अवशेष भाग मिसिंग लिंक पर मार्ग का निर्माण कार्य।	तदैव	1.500	82.30	8.23	50.00
9	सिसवार तरकुलानी खैरा के बीच लकड़ा नाले पर पुलिया एवं एप्रोच का नव निर्माण कार्य।	124/2019/220/23-14-2019-39आ0पू0वि0नि0/18, दिनांक 10.03.2019	0.00	103.10	2.00	50.00
10	बड़सरी वीरपुर के बीच अंवरा नाले पर पुलिया एवं एप्रोच का नव निर्माण कार्य।	59/2019/124/23-14-2019-64आ0पू0 वि0नि0/18, दिनांक 11.02.2019	0.00	100.74	40.29	50.00
11	नारापार लोहटा के बीच लकड़ा नाले पर पुलिया एवं एप्रोच का नव निर्माण कार्य।	तदैव	0.00	94.21	37.68	50.00
	योग		**11.00**	**990.36**	**202.71**	**521.51**

3- यह धनराशि केवल उक्त परियोजनाओं पर ही मानक/विशिष्टियों के अनुरूप व्यय की जायेगी तथा इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा। इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता होगी, जिसका सम्पूर्ण दायित्व आपका होगा।

4- परियोजनाओं का क्रियान्वयन निम्नांकित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा:-

(1) मुख्य विकास अधिकारी का दायित्व होगा कि स्वीकृत कार्य के अवशेष कार्य कड़ी निगरानी में समयबदध ढंग से पूर्ण कराये जायॅ। यह सुनिश्चित किया जाय कि आवंटित धनराशि का दुरूपयोग न हो।

(2) उक्त परियोजनाओं पर होने वाले व्यय को स्वीकृत धनराशि तक ही सीमित रखा जायेगा, कार्य की विशिष्टियां, मानक गुणवत्ता की सम्पूर्ण जिम्मेदारी मुख्य विकास अधिकारी की होगी तथा वे यह भी सुनिश्चित करेंगे कि फण्डिंग की डुप्लीकेसी न हो तथा कार्य समय से पूरा हो। इसके लिए वे पूर्णतया उत्तरदायी होगें।

(3) आवंटित धनराशि का आहरण करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि पूर्व आवंटित धनराशि का सदुपयोग कर लिया गया है एवं कार्य का स्थलीय निरीक्षण कर लिया गया है तथा आवंटित धनराशि से कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(4) स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा धनराशि बैंक में न रखी जाय। स्वीकृत धनराशि अनुमोदित कार्यो पर ही व्यय की जायेगी।

(5) परियोजनान्तर्गत विभिन्न निर्माण कार्य/व्यय शासन द्वारा स्वीकृत आगणन के अनुसार ही किये जायेगें।

(6) निर्माण कार्य में प्रयोग की जाने वाली सामग्री का क्रय स्टोर परचेज नियमों तथा समय-समय पर जारी तत्सम्बन्धी शासनादेशों एवं नियमों के अनुसार ही किया जायेगा तथा कार्य के अनुमान/आगणन पर यथा स्थिति सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी। उक्त परियोजनाओं के लिए स्वीकृत धनराशि का व्यय परियोजना की विस्तृत ड्राइंग/डिजाइन व सर्वेक्षण रिपोर्ट तथा सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष योजनावार वित्तीय एवं भौतिक प्रगति आप द्वारा कार्यदायी संस्था से प्राप्त कर प्रत्येक माह की 07 तारीख तक प्रमुख सचिव, लोक निर्माण अनुभाग-14, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को निर्धारित प्रपत्र पर भेजी जायेगी।

(8) मुख्य विकास अधिकारी द्वारा स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र बजट मैनुअल के प्राविधानों के अनुसार अनिवार्य रूप से नियत समय पर महालेखाकार, उ0प्र0 व उ0प्र0 शासन को प्रेषित किये जायेगें।

(9) स्वीकृत परियोजनाओं के लिए आवंटित धनराशि का उपयोग दिनांक 31.03.2021 तक अवश्य कर लिया जायेगा तथा परियोजना में जनपद स्तर पर कोई संशोधन/परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।

(10) परियोजनाओं हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि के संबंध में कार्यदायी संस्था फार्म-42 आई पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र मुख्य विकास अधिकारी को उपलब्ध करायेगी जो स्थलीय निरीक्षण कराकर कार्य मानक/विशिष्टियों के अनुरूप पूर्णतया संतोषजनक पाये जाने पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र अपने प्रतिहस्ताक्षर के उपरान्त लोक निर्माण अनुभाग-14, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को प्रेषित करेंगे तथा उसकी प्रति मण्डलायुक्त को उपलब्ध करायेंगे। परियोजना पूर्ण होने के उपरान्त यदि कोई धनराशि अवशेष रह जाती है तो अवशेष बच रही धनराशि को ट्रेजरी चालान के माध्यम से कोषागार में सुसंगत लेखा शीर्षक के अन्तर्गत जमा कराकर ट्रेजरी चालान की प्रमाणित प्रति शासन को उपलब्ध करायी जायेगी ।

(11) मण्डलायुक्त/मुख्य विकास अधिकारी परियोजना के निर्माण कार्य में गुणवत्ता एवं तदुपरांत सृजित परिसम्पत्तियों के रखरखाव की भी समुचित व्यवस्था कर लेंगें, यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त कार्यो की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति न हो।

(12) परियोजनाओं की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने हेतु कार्यदायी संस्था के सक्षम अधिकारी पूर्णतया उत्तरदायी होंगे।

5- उपर्युक्त परियोजनाओं के समयबद्ध एवं गुणात्मक क्रियान्वयन के लिए आप उत्तरदायी होंगे एवं तदनुसार कार्य कराने हेतु कार्यदायी संस्था से प्रभावी समन्वय बनाये रखेंगे ।

6- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-56 के अन्तर्गत पूँजीलेखा-4575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूँजीगत परिव्यय-60-अन्य-800-अन्य व्यय-03-पूर्वांचल विशेष योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

7- यह आदेश वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
राजेश कुमार पाण्डेय
अनु सचिव।

संख्या-11/2022/1020(1)/23-14-2022-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, प्रयागराज ।
2- महालेखाकार, लेखा परीक्षा प्रथम व द्वितीय, प्रयागराज ।
3- आयुक्त, आजमगढ़ मण्डल, आजमगढ़।
4- जिलाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, बलिया।
5- प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
6- मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय-1) लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7- मुख्य अभियन्ता, आजमगढ़ क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, आजमगढ़।
8- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, बलिया।
9- वरिष्ठ आडिट आफीसर (आडीटर प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार, लेखा परीक्षा प्रथम सत्यनिष्ठ भवन, 15 नार्थहिल रोड, प्रयागराज ।
10- वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
11- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/लोक निर्माण अनुभाग-10
12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
राजेश कुमार पाण्डेय
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।